संख्या-43/2020-1416 /58-2020-148/2015टीसी

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः** **दिनांकः 31 अगस्त, 2020**

विषयः- प्रदेश में आलू एवं टमाटर के भाव को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते एवं प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जल भराव से मौसमी हरी सब्जियों के उत्पादन प्रभावित होने के कारण, आलू एवं टमाटर के बाजार भाव में वृद्धि दृष्टिगत हुई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों/शहरों में आलू एवं टमाटर के फुटकर भाव क्रमशः रु0 30-35 एवं रु0 50-60 प्रति किग्रा0 हैं, जबकि प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में आलू एवं टमाटर के थोक बाजार भाव क्रमशः रु0 1800-2500 तथा रु0 2800-4500 प्रति कुन्तल हैं। थोक भाव की तुलना में फुटकर बाजार भाव में अन्तर है, जो विचारणीय है।

प्रदेश में एक अनुमान के अनुसार आलू की औसत खपत लगभग 6.00-6.50 लाख मीट्रिक टन प्रति माह के मध्य रहती है। हरी सब्जियों के जल प्लावन के कारण आलू की खपत में वृद्धि होना स्वाभाविक है। आलू की आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आलू भण्डारित है, वर्तमान में यह 63.32 लाख मीट्रिक टन है। टमाटर की फसल का ऑफ सीजन होने के कारण दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आपूर्ति हो रही है। प्रदेश में उत्पादित टमाटर के बाजार में आने में अभी लगभग 02 माह का समय लगेगा, जिसके कारण टमाटर के बाजार मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इन दरों के आधार पर सम्बन्धित प्रदेशों से निर्बाध आपूर्ति के लिए स्थानीय आढ़तियों एवं कृषि उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को संज्ञानित कराकर आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक दिन विभिन्न स्थानों/ मण्डियों के थोक बाजार भाव भारत सरकार की बेवसाइट https://agmarknet.gov.in/PriceTrends/SA_Week_Pri.aspx पर उपलब्ध है, जिससे बाजार भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू की निकासी एवं टमाटर की आवक एवं बिक्री के सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स यथा एफ0पी0ओ0 आदि के साथ पाक्षिक बैठक कर समीक्षा की जाय, जिससे शीतगृहों से आलू की पर्याप्त निकासी के साथ मूल्य स्थिर रहे।

भवदीय

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-43/2020-1416 (1)/58-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त उप निदेशक, उद्यान उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in